रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

1**314**3

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

The Gazette of India

रत स्वर्ग

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 938] No. 938] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2004/कार्तिक 7, 1926 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2004/KARTIKA 7, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2004

का.आ. 1204( अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(क) क्रम सं. 2सी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

1	2	3
"2सी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 40 (डावकी से जोवाइ खंड सहित) , सं. 44 (शिलांग-जोवाइ और शिलांग के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 40 के साथ उसके जंक्शन से प्रारंभ होने वाला और नोंगस्टोइन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ), सं. 51 , सं. 62 (बाघमारा से दालू खंड सहित) के मेघालय राज्य के भीतर स्थित भाग ।	मेघालय राज्य सरकार । ";

(ख) क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

3261 GI/2004

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

1		·····
	2	3
" 3.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19, सं. 28 [365.570 कि.मी. से 520.00कि.मी. तक	बिहार राज्य सरकार ।";
	(मुजफ्फरपुर -पिपराकोठी से गोपालगंज-उत्तर	
	प्रदेश/बिहार सीमा) को छोड़कर],	
	सं.31[410.000कि.मी. से 447.000कि.मी. तक और	
	470.000 कि.मी. से 476.150 कि.मी. तक (पूर्णिया	
	से गोयरकाटा) को छोड़कर] ,सं. 80,सं. 81, सं. 98,	· ·
	सं.99 के बिहार राज्य के भीतर स्थित भाग और	
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28बी (छपवा से राष्ट्रीय राजमार्ग	
	28ए के साथ उसके जंक्शन से प्रारंभ होने वाले और	
	कुशीनगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के साथ	· · ·
	उसके जंक्शन के साथ समाप्त होने वाले राजमार्ग ),	
	सं. 30, सं. 30ए, सं. 77, सं. 82, सं. 83, सं. 84,	-
	सं. 85, सं. 101, सं. 102, सं. <b>103, सं. 104, सं.</b>	
	105, सं. 106, सं. 107, और सं. 110 (अरवाल से	
	राष्ट्रीय राजमार्ग 98 के उसके जंक्शन से प्रारंभ होने	
	वाला और बिहारशरीफ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 31	
	के साथ उसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला	
	राजमार्ग )।	•

(ग) क्रम सं. 1ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
" 4ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 (राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर सूरत के समीप उसके जंक्शन से प्रारंभ होने वाले और हजीरा पर समाप्त होने वाले राजमार्ग सहित ), सं. 15	गुजरात राज्य सरकार ।'';
	[ समाख्याली से राधनपुर खंड को छोड़कर ] सं. 59 और सं. 113 के गुजरात राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ए [ नलिया - कोठारा -	
	विखाड़ी को जोड़ने वाले नारायण सरोवर से प्रारंभ होने वाले और मांडवी के समीप उसके जंक्शन पर समाप्त होने वाले राजमार्ग सहित और	
	183.500कि.मी. से 362.160 कि.मी. (गांधीधाम से समाख्याली से वामनबोरे खंड) को छोड़कर ] , सं. 8सी, सं. 8डी और सं. 8ई ( द्वारका से भोगत-	
	पोरबंदर-नवीबंदर-सील को जोड़ने वाले और सोमनाथ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 8डी के साथ उसके जंक्शन पर समाप्त होने वाले राजमार्ग सहित )।	

2\_\_\_\_

[ भाग ]] — खण्ड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(घ) क्रम सं. 7ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
"7ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6[308.6कि.मी. से 323.6कि.मी. (दुर्ग-	छत्तीसगढ़ राज्य
	वाइपास)को छोड़कर] , सं. १२ए, सं. १६, सं. ४३, सं. ७८,	सरकार।";
	सं. 200, सं. 202, सं. 217 और सं. 221के छत्तीसगढ़ राज्य	
1	के भीतर स्थित भाग, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 111 और राष्टीय	
	राजमार्ग सं. 216 ।	·

(ङ) क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
" 12	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 , [ किशनगढ़ से अजमेर (366 कि.मी. से 396 कि.मी. ) और अजमेर से उदयपुर (0 कि.मी. से 263/500तक) ], सं. 11 सं. 12 सं. 14, [ 246.800 कि.मी. से 306.000कि.मी. (पिंडवारा से राजस्थान/गुजरात सीमा खंड ) को छोड़कर], सं. 15 सं. 65, सं. 79 (नसीराबाद से चित्तोडगढ़ खंड को छोड़कर) और सं113 के राजस्थान राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 ए, 11बी, सं. 89, सं. 90, सं. 112, सं. 114 और सं. 116 ।	राजस्थान राज्य सरकार ।";

(च) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
"13	राष्ट्रीय राजामार्ग सं. 2ए,सं. 7, सं. 11, सं. 19, सं.	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ।";
	24 [ (27.62 कि.मी. से 166.65 कि.मी. तक ,	
	गाजियाबाद से मुरादाबाद जिसके अंतर्गत हापुड़ है और	
	मुरादाबाद वाइपास को छोड़कर)और 180.325 कि.मी.	
	पर आरओबी] , सं. 27 [ 0.00कि.मी. (राष्ट्रीय	
	राजमार्ग सं. 2 के 211.700कि.मी. )से 5.410 कि.मी.	
	(राष्टीय राजमार्ग 27 के नए संरेखण )को छोड़कर] ,	
	सं. 28बी, सं. 58, सं. 72ए, सं. 73, सं. 74, सं. 75,	
	[90.00कि.मी. से 103.00 कि.मी. (मध्यप्रदेश/उत्तर	
	प्रदेश सीमा से झांसी खंड)को छोड़कर ] ,राष्ट्रीय	
	राजमार्ग सं. 76 (इलाहाबाद के समीप राष्ट्रीय	· · · · · ·

3

東京の行う

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

राजमार्ग 27 के साथ जंक्शन से मिर्जापुर के समीप	
राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के साथ जंक्शन तक के राजमार्ग	
सहित) , सं. 86, सं. 87( 8कि.मी. पर लघु पुल और	
30:••50 कि.मी. पर मुख्य पुल को छोड़कर), सं. 92	
और सं. 119 के उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग	
और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24ए, सं. 29, (गोरखपुर-	
फरेंडा-सोनौली खंड को छोड़कर), सं. 56, सं. 91, सं.	
91ए, सं. 93 सं. 96 और सं. 97 ।	

(छ) क्रम सं. 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
" 14	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [ 0.0 कि.मी. से 136.00 कि.मी. (कोलकाता से	पश्चिम बंगाल राज्य
	खड़गपुर) को छोड़कर], सं. 31 [ 447 कि.मी. से 470 कि.मी. और	सरकार ";
	476.150 कि.मी. से 634.150 कि.मी. (डलखोला से सिलिगुड़ी से	
1	चालसा) को छोड़कर ] , सं. 31सी [ (105 कि.मी. से 254.500	,
	कि.मी. (चालसा से असम/पश्चिमी बंगाल सीमा )को छोड़कर ] सं. 32,	
	सं. 60 [ खड़गपुर से आसनसोल खंड और पांडवेश्वर-डुबराजपुर-	
	सियुरी को जोड़ने वाले रानीगंज के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के साथ	
ľ	उसके जंक्शन से प्रारंभ होने वाले और मोरेग्राम के समीप राष्ट्रीय	
	राजमार्ग 34 के साथ उसके जंक्शन पर समाप्त होने वाले राजमार्ग]	
r	👾 सं. 80 और सं. 81 के पश्चिमी बंगाल राज्य के भीतर स्थित भाग	
	और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 सं. 35, सं. 55, सं. 60ए और सं. 117	
	(21.80 कि.मी. से 137 कि.मी. जोका से बखाली तक)	

[फा. सं. एनएच-14012/21/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्त्र उसमें तत्पश्चात का0आ0 195 (अ) तारीख 6 मार्च, 2000, का0आ0 350 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 2001 का0आ0 464 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2002 का0आ0 527 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 2004 और का0आ0 715(अ) तारीख 22 जून, 2004 द्वारा संशोधन किए गए ।

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## (Department of Road Transport and Highways)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2004

**S.O. 1204(E).**—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Transport number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification,

(a) for serial number 2C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

1	2	3
"2C	So much of National Highways No.40(including portion from Dawki to Jowai), No.44 (Shillong-Jowai and the Highway starting from its junction with NH 40 near Shillong and terminating at Nongstoin), No.51, No.62 (including portion from Baghmara to Dalu) as are situated within the State of Meghalaya	State Government of Meghalaya.";

(b) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely :-

1 2	3
<ul> <li><sup>1</sup> 2</li> <li>"3. So much of National Highways No 19, No.28 [excluding from Km. 365.570 to Km.520.00 (from Muzza farpur-Piprakothi to Gopalganj – Uttar Pradesh/Bihar Border)], No.31 [excluding from Km.410.000 to Km. 447.000 and Km. 470.000 to Km. 476.150 (Purnea to Goyerkata )], No.80, No.81, No.98, No.99 as are situated within the State of Bihar and National Highways No.28B (The Highway starting from its junction with NH 28A from Chhapwa and terminating with its junction with NH 28 near Kushinagar), No.30, No.30A, No.77, No.82, No.83, No.84, No.85, No.101, No.102, No.103, No.104, No.105, No.106, No.107 and No.110 (The Highway starting from its junction with NH 31 near Biharsharif).</li> </ul>	State Government of Bihar.";

5

「などう」にはなるとうないのであったのである

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

(c) for serial number 4A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely :-

1	2	3
<u>1</u> "4A.	2 So much of National Highways No. 6 (including the Highway starting from its Junction near Surat on NH 6 and terminating at Hajira), No.15 [excluding the Section Samakhyali to Radhanpur] No. 59 and No.113 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No. 8A[ including the Highway starting from Narayan Sarovar connecting Naliya-Kothara-Vikhadi and terminating at its junction near Mandavi and excluding from Km. 183.500 to Km. 362.160 (section	3 State Government of Gujarat.";
	from Gandhidham to Samakhyali to Bamanbore)], No. 8C, No.8D and No.8E(including the Highway from Dwarka connecting Bhogat-Porbandar-Navibander-Shil and terminating at its junction with NH 8D near Somnath).	

(d) for serial number 7A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely :-

ſ	[	2	3
	"7Δ.	So much of National Highways No. 6[ excluding from	State Government
			of Chhattisgarh.";
		No.43, No.78, No.200, No.202, No.217 and No.221 as are	
ĺ		situated within the State of Chattisgarh, National	
		Highways No. 111 and NH No.216.	

(e) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

1 2	3
"12 So much of National Highways No.8, [Kishang Ajmer(from Km.366 to Km. 396) and Ajmer to U (from Km. 0 to Km.263/500)], No.11, 1 No.14[excluding from Km.246.800 Km.306.000(Pindwara to Rajasthan/Gujarat 1 section), No.15, No.65, No.79(excluding from s Nasirabad to Chittorgarh) and No.113 as are s within the State of Rajasthan and National Hig No.11A, 11B, No.89, No.90, No.112, No.11 No.116.	Idaipur of Rajasthan."; No.12, to Border section intuated ghways

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

f) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely :-

1	2	3
"13	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11,	State Government of
1	No.19, No.24 [(excluding Km.27.62 to Km. 166.65,	Uttar Pradesh.";
	Ghaziabad to Moradabad including Hapur and	
ļ	Moradabad Bypasses) and ROB at Km. 180.325],	
	No.27 [excluding Km. 0.00 (Km.211.700 of NH No.2)	
	to Km.5.410(new alignment of NH 27)], No.28B,	
	No.58, No.72A, No.73, No.74, No.75, [excluding from	
	Km.90.00 to Km. 103.00 (section from Madhya)	
}	Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], National	
	Highways No.76 (including the highway from junction	
	with NH 27 near Allahabad upto junction with NH 7	
	near Mirjapur), No.86, No.87(excluding a minor Bridge	
	at Km.8 and a major Bridge at Km. 30.050), No.92 and	
}	No.119 as are situated within the State of Uttar Pradesh	
	and National Highways No.24A, No.29 (excluding	
ļ	Gorakhpur–Pharenda-Sonauli section) No.56, No.91,	
L	No.91A, No.93, No.96 and No.97.	

(g) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely :-

1	2	3
"14.	So much of National Highways No. 6 [excluding from	State Government
	Km.0.0 to Km.136.000 (from Kolkata to Kharagpur)],	of West Bengal.";
	No.31[(excluding from Km.447 to Km.470 and from	
	Km.476.150 to Km. 634.150(Dalkhola to Siliguri to	·
	Chalsa)], No.31C [(excluding from Km.105 to	
	Km.254.500 (Chalsa to Assam/West Bengal Border)]	
	No.32, No.60 [portion from Kharagpur to Asansol and the	
	highway starting from its junction with NH 2 near	
	Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Siuri and	
	terminating at its junction with NH 34 near Moregram)],	
	No.80 and No.81 as are situated within the State of West	
	Bengal and National Highways No.34, No35, No.55,	
	No.60A and No.117 (Km. 21.80 to Km.137 from Joka to	
	Bakkhali).	

#### [F. No. NH-14012/21/2004-P&M]

### INDU PRAKASH, Director General (Road Development) & Spl. Secy.

Note:— The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O 1181, dated the 4<sup>th</sup> April, 1957 and last amended vide S.O. 195(E) dated the 6<sup>th</sup> March, 2000, S.O 350(E) dated the 23<sup>rd</sup> April, 2001, S.O. 464(E) dated the 26<sup>th</sup> April, 2002, S.O 527(E) dated the 23<sup>rd</sup> April 2004, S.O.527(E) dated 23<sup>rd</sup> April, 2004 and S.O 715 (E) dated the 22nd June, 2004.

7

## अधिसूचना

# नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2004

का.आ. 1205(अ) — केन्द्रीय सरकर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कैरते हुए, नीचे की सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट भुखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	लंबाई कि.मी. में
1	2	3
27	इलाहाबाद-मनगवां	0.00 कि.मी. (राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के 211.700 कि.मी.) से 5.410 कि.मी. (राष्ट्रीय राजमार्ग
		27 के नए संरेखण ) तक
28ए	पिपरा कोठी-रक्सौल	68
28सी	बाराबंकी -नेपालगंज	152.90
29	गोरखपुर-फरिंदा-सोनौली	104.40
57ए	फारबिसगंज-जोगबनी	10

[फा. सं. एनएच-14012/21/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव

### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 29th October, 2004

**S.O. 1205(E)**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988(68 of 1988) the Central Government hereby entrusts the stretch specified in column (3) of the table below, (hereinafter referred to as the said table) of the corresponding Section as mentioned against in column (2) of the said table, of the National Highway as described in column (1) of the said table, to the National Highways Authority of India.

TABLE				
National Highway No.	Section	Length in Kilometer		
1	2	3		
27	Allahabad - Mangawan	From Km.0.00 (Km.211.700 of NH 2) to Km.5.410 (new alignment of NH 27)		
28A	Pipra Kothi - Raxaul	68		
28C	Barabanki - Nepalganj	152.90		
29	Gorakhpur-Pharenda-Sonauli	104.40		
57A	Forbesganj-Jogbani	10		

[F. No. NH-14012/21/2004-P&M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) & Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications. Delhi-110054.